

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी- सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या:- 40/2018 धारा 73 (2) नगर पालिका अधि0 2009 (RCMS No.2018/00048)

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. अमरसिंह | } पिसरान दशरथ | } समस्त जाति धाकड निवासी कोटा पट्टी वैर, तहसील वैर जिला भरतपुर। |
| 2. गिरधारी | | |
| 3. अनीता पुत्री | | |
| 4. रामदेई वेवा | | |

.....अपीलान्टस

बनाम

- रमेश पुत्र करनसिंह जाति धाकड निवासी नयावास वैर, तहसील व जिला भरतपुर।
- नगर पालिका वैर जरिये चैयरमेन, वैर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध आवासी पट्टा विलेख दिनांक 18.12.2012 नगर पालिका मण्डल वैर जिला भरतपुर वहक रमेशचंद धाकड पुत्र करनसिंह धाकड निवासी नयावास वैर जिला भरतपुर।

उपस्थिति:-

- विजयसिंह कृन्तल वकील अपीलान्टस
- श्री मोहनसिंह राना वकील रैस्पोजेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 17.09.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका वैर जिला भरतपुर के द्वारा रैस्पोजेन्ट संख्या-1 रमेशचंद धाकड के हक में जारी किये गये पट्टा दिनांक 18.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का वैर की ओर से नगर पालिका के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि रैस्पोजेन्ट संख्या 1 रमेशचंद धाकड ने आराजी खसरा नम्बर 2290 रकबा 371.1 वर्गगज को कृषि से अकृषि में प्रयोग कर लिया है। नगर पालिका वैर द्वारा प्रकरण दर्ज कर खातेदार/कब्जेधारी रैस्पोजेन्ट संख्या 1 रमेशचंद धाकड को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी का नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि क्यों नहीं उक्त आराजी को सिवायचक घोषित कर नगर पालिका वैर के नाम इन्द्राज कर दिया जावे। इसके बाद रैस्पोजेन्ट रमेशचंद धाकड के द्वारा प्रारूप 14 के अंतर्गत भूमि के नियमितीकरण के लिये आवेदन नगर पालिका वैर के कार्यालय में प्रस्तुत कर आवासीय नियमन/आवंटन कराने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ भूमि का क्षतिपूर्ति बंधपत्र, शपथपत्र, समर्पणनामा, इकरारनामा, बयानामा, जमाबन्दी 2067-2070, सहमति पत्र, नक्शा ब्लूप्रिन्ट, राशनकार्ड, आधारकार्ड, पेश कर नियमानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टाविलेख जारी किये जाने का निवेदन किया गया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका वैर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलान्तीन पट्टा-विलेख दिनांक 18.12.2012 रैस्पोजेन्ट संख्या 1 रमेशचंद धाकड के हक में जारी कर



17-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिया गया। नगर पालिका वैर की ओर से जारी उपरोक्त पट्टे के विरुद्ध अपीलान्टस की ओर से अदालत हाजा में उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्टस एवं तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोजेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्टस व रैस्पोजेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि नगर पालिका वैर की ओर से जारी अपीलाधीन पट्टा दिनांक 18.12.2012 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। नगर पालिका वैर की ओर से खसरा नंबर 2290 का पट्टा जारी किया गया है। जबकि अपीलान्टस उक्त खसरा नंबर का सहखातेदार है। उपरोक्त भूमि का अपीलान्टस व रैस्पोजेन्ट के मध्य किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ है। इसके बाबजूद नगर पालिका वैर की ओर से अविभाजित भूमि के संबंध में निश्चित स्थान का पट्टा जारी करने का आदेश दिया है। जबकि संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि के संबंध में जब तक विभाजन नहीं हो जाता या सहखातेदार की सहमति नहीं होती है, तब तक स्थान विशेष का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। रैस्पोजेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने हेतु अपीलान्टस की ओर से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई। बिना सहमति के संयुक्त खातेदारी की भूमि में से पट्टा जारी किया जाना नियम विरुद्ध है व इस तरह का पट्टा अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। इसके अलावा नगर पालिका वैर की ओर से जारी किये गये पट्टे पर न तो किसी अधिकारी के हस्ताक्षर ही हैं और न ही पट्टे पर साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। चूंकि विवादित भूमि खसरा नंबर 2290 का अपीलान्टस 1/2 हिस्से का सहखातेदार है। कानून के मुताबिक प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है तथा सहखातेदार की भूमि से संबंधित होने वाले प्रत्येक आदेश से हर सहखातेदार प्रभावित होता है। उक्त प्रकरण में भी नगर पालिका के द्वारा अपीलान्टस की सहखातेदारी में स्थित भूमि में से अपीलान्टस की बिना सहमति से अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है। इसलिये नगर पालिका वैर की ओर से जारी अपीलाधीन पट्टा दिनांक 18.12.2022 निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि नगर पालिका वैर की ओर से अपीलाधीन पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलान्टस जो कि विवादित भूमि का सहखातेदार है, को किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपीलान्टस की ओर से खसरा नंबर 2290 के किसी भी भाग को रूपान्तरित किये जाने के संबंध में किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी गई। रैस्पोजेन्ट का खसरा नंबर 2290 के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। चूंकि नगर पालिका की ओर से अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये रैस्पोजेन्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। इसलिये उक्त पट्टे के संबंध में पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। सर्वप्रथम दिनांक 07.02.2018 को अपीलाधीन पट्टे के संबंध में तब जानकारी



17-9-2024
सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्राप्त हुई जब रैस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से सिविल न्यायालय में पेश किये गये दावे में अपीलान्टस हाजिर हुये। सिविल न्यायालय में दायर किये गये दावे को पढने पर अपीलाधीन पट्टे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होते ही पट्टे की नकल हेतु नगर पालिका वैर में आवेदन किया गया। अपीलाधीन पट्टे की नकल प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोजेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। इसलिये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार की जावे तथा नगर पालिका वैर की ओर से जारी अपीलाधीन पट्टा दिनांक 18.12.2012 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि सर्वप्रथम तो अपीलान्टस की ओर से नगर पालिका वैर की ओर से जारी किये गये पट्टे दिनांक 18.12.2012 के विरुद्ध लगभग 6 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है। नियमों के तहत नगर पालिका वैर की ओर से जारी किये गये पट्टे के विरुद्ध 60 दिवस में अपील पेश की जा सकती थी, परन्तु अपीलान्टस की ओर से उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है तथा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में जो कारण बताया है, वह पर्याप्त व उचित नहीं है। इसलिये अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। नगर पालिका वैर में रैस्पोजेन्ट की ओर से विवादित भूमि के संबंध में पट्टा जारी किये जाने हेतु विधिवत आवेदन किया गया था। इस आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजात भी संलग्न किये गये थे। रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के संबंध में नगर पालिका के द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने, रैस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण करने व मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रैस्पोजेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि विवादित भूमि के खसरा नंबर 2290 के अपीलान्टस के साथ-साथ भंवरसिंह सहखातेदार था। अपीलान्टस व रैस्पोजेन्टस के मध्य मनबट के आधार पर भूमि विभाजित की हुई थी। रैस्पोजेन्ट द्वारा विवादित भूमि का खातेदार भंवरसिंह से विधिवत कय किया गया था। नगर पालिका वैर की ओर से भंवरसिंह की खातेदारी में स्थित सम्पूर्ण भूमि का पट्टा जारी नहीं कर रैस्पोजेन्ट द्वारा कय की गई 3484 वर्गफुट भूमि के संबंध में आवश्यक शुल्क आदि जमा कराये जाने के बाद रैस्पोजेन्ट के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे से अपीलान्टस किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है। इसके बाबजूद रैस्पोजेन्टस को अनावश्यक परेशान करने की नियत से उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। वकील अपीलान्टस का यह तर्क गलत है कि विवादित भूमि पर रैस्पोजेन्टस का कब्जा नहीं है, वरन् वस्तुस्थिति यह है कि नगर पालिका वैर द्वारा विवादित भूमि

17/9/2012
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर रैस्पोडेन्ट द्वारा कय की गई भूमि पर रैस्पोडेन्ट का कब्जा होने के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी होने के बाद रैस्पोडेन्ट द्वारा नगर पालिका से नियमानुसार नक्शा पास करवाकर उक्त भूमि में मकान भी बना लिया गया है, जिसमें वर्तमान में रैस्पोडेन्ट निवास कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नगर पालिका वैर की ओर से जारी पट्टा दिनांक 18.12.2012 यथावत रखा जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन पट्टा संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन पट्टा दिनांक 18.12.2012 के विरुद्ध अदालत हाजा में दिनांक 28.02.2018 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.02.2018 को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा सिविल न्यायालय में पेश किये गये दावे में अपीलान्टस के उपस्थित होने पर होने का उल्लेख करते हुये जानकारी होते ही अपीलाधीन पट्टे की नगर पालिका वैर से नकल प्राप्त कर बिना किसी विलम्ब के अदालत हाजा में अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से जो जवाब दिनांक 12.09.2022 को पेश किया गया है, उसमें यह उल्लेख किया है कि अपीलान्टस को अपीलाधीन पट्टे की जानकारी शुरू से रही है। रैस्पोडेन्ट द्वारा अपनी कयशुदा व काबिजशुदा भूखण्ड 370 वर्गगज का पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये प्राप्त किया गया है। पट्टाविलेख प्राप्त करते समय रैस्पोडेन्ट द्वारा जिस खातेदार भंवर सिंह से भूखण्ड कय किया गया था। उसका सहमति पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्टस अपने हिस्से पर काबिज है। अपीलान्टस अपने आप को 1/2 हिस्से का सहखातेदार होना बताते हैं। इसके लिये सक्षम न्यायालय में विभाजन करा सकते हैं। पट्टाविलेख सन् 2012 में प्रस्तुत किया गया है। जिसके विरुद्ध अदालत हाजा में लगभग 6 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का जो कारण बताया गया है, वह पर्याप्त व उचित नहीं है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश करते हुये अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु को खारिज किये जाने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्टस की ओर से अपीलान्टस के द्वारा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का जो जवाब व काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें यह तो उल्लेख किया गया है कि अपीलान्टस को रैस्पोडेन्टस के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा जारी होने की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, परन्तु यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्टस को अपीलाधीन

12-9-2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पट्टे के संबंध में कौन सी तारीख को व किस स्रोत से जानकारी हुई है। दूसरी ओर अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.02.2018 को सिविल न्यायालय में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किये गये दावे में उपस्थित होने पर जानकारी होने का उल्लेख किया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई प्रतिवाद किया गया और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया, जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन पट्टे की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से नगर पालिका वैर के कार्यालय में भूमि के नियमतीकरण के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें खसरा नंबर 2290 रकबा 40x84 फीट कुल रकबा 373.3 वर्ग गज भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने का उल्लेख किया गया। आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बंध पत्र, शपथ पत्र, समर्पणनामा, इकरारनामा, वयनामा, जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070, रैस्पोडेन्ट का शपथ पत्र, खातेदार भंवर सिंह का सहमति पत्र, ब्ल्यू प्रिंट, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि आवेदित भूमि के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत कार्यवाही पूर्व में ही किये जाने के कारण आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया जावे। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। कनिष्ठ अभियन्ता की ओर से आवेदित भूमि के संबंध में इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि मौके पर प्रार्थी का एक मकान बना हुआ है। जिसकी मौके पर नपती की गई। मौके पर प्रार्थी की उत्तर व दक्षिण दिशा में 83 फीट 3 इंच व पूर्व व पश्चिम में 40 फीट कुल एरिया 3330 वर्गफीट या 370 वर्गगज होता है। कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रैस्पोडेन्ट को आवेदित भूमि के बदले 53549 रुपये जमा कराये जाने का नोटिस जारी किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 18.12.2012 को 53550 रुपये जमा कराये जाने के बाद नगर पालिका की ओर से रैस्पोडेन्ट के पक्ष में अपीलाधीन पट्टा दिनांक 18.12.2012 को जारी किया गया है। इस पट्टे पर अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका वैर के अलावा साक्षीगण के हस्ताक्षर भी हो रखे हैं। रैस्पोडेन्ट के पक्ष



 17-9-2014
 संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर

में पट्टा जारी किये जाने के बाद उक्त पट्टे का पंजीयन उपपंजीयक वैर की ओर से दिनांक 24.12.2012 को किया जा चुका है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन पट्टे व भूमि पट्टाविलेख पर उपपंजीयक वैर भरतपुर के हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है, अर्थात् रैस्पोंडेन्ट के पक्ष में जारी पट्टा का पंजीयन उपपंजीयक वैर भरतपुर के कार्यालय से दिनांक 24.12.2012 को किया जा चुका है।

पंजीबद्ध पट्टे के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से 2019 (1) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 339 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्टर्ड लीजडीड कार्यपालक शक्तियों का उपयोग कर रद्द नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड लीजडीड के रद्द करने हेतु घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में केवल सिविल वाद पेश करने का उपचार है। इसी प्रकार 2021 (1) डी.एन.जे. राजस्थान पेज 186 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जिला कलक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा वातिल नहीं किया जा सकता है। रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 139 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार एक बार दस्तावेज रजिस्टर्ड होने के बाद 1908 के अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्राधिकारी रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है। इसके लिये अपील का उपचार उपलब्ध है। उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार नगर पालिका की ओर से जारी पट्टे का पंजीयन होने के बाद पट्टे को निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता अदालत हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में रैस्पोंडेन्ट के पक्ष में नगर पालिका वैर की ओर से जारी किये गये पट्टे दिनांक 18.12.2012 का उपपंजीयक वैर की ओर से दिनांक 24.12.2012 को पंजीयन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुये पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता अदालत हाजा को नहीं होने के कारण अपीलाधीन पट्टे के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील अदालत हाजा को पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के कारण रैस्पोंडेन्ट के पक्ष में जारी किये गये पट्टा दिनांक 18.12.2012 के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(साँवर मूल बेनी)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर